युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत गणराज्य

और

फ्रांस के शहरी संसाधन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

के बीच

खेलों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

एतदद्वारा 'पक्षों' के रूप में नामोद्दिष्ट भारत गणराज्य के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और फ्रांस गणराज्य के शहरी संसाधन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने,

भारत सरकार और फ्रांस गणराज्य के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर 7 जून, 1966 को हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए,

खेलों में द्विपक्षीय सहयोग की भूमिका को मैत्री और आपसी संबंधों को सुदृढ़ करने के एक पहलू के रूप में स्वीकार करते हुए,

पुरुषों और महिलाओं द्वारा खेलों को अपनाकर, जैसे कि एकता और सच्ची खेल भावना की आपसी समझबूझ की भावना से निष्पक्ष खेल पद्धति के माध्यम से युवाओं को शिक्षित करके एक बेहतर और अधिक शान्तिप्रिय विश्व के निर्माण में योगदान देने की परस्पर इच्छा को दोहराते हुए,

खेलों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सहयोग की भावना को प्रकट करके निम्नलिखित समझौता किया है :

अनुच्छेद 1. सहयोग के क्षेत्र

दोनों पक्ष निम्नलिखित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से संबंधित अपनी कौशल विधाओं की रूपरेखा के अनुसार खेलों में सहयोग को बनाए रखने और बढ़ाने का संकल्प लेते हैं :

- खेल औषधि;
- संस्थागत सहयोग;
- प्राक्सिमिटी खेलों के संदर्भ में खेल पद्धति का विकास;
- खेलों में महिलाओं की भागीदारी में सहायता;
- नि:शक्तजनों द्वारा खेलों की पद्धति का विकास;
- खेल जगत और मुख्यत: खेल परिसंघों में खिलाड़ियों का प्रबंधन और समन्वय;
- खेल परिसंघों के संगठन और संरचना में सहायता;
- खेलों के उत्कृष्टता केंद्रों पर आदान-प्रदान;
- उच्च स्तरीय खेलों में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान;
- कार्यपालकों का प्रशिक्षण;
- खेलों में प्रयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी;
- डोपिंग के विरूद्ध रोकथाम और संघर्ष;
- हिंसा के विरूद्ध रोकथाम और संघर्ष;
- युवा खिलाड़ियों का संरक्षण और सामाजिक समावेश;

- खेल सुविधाओं का प्रबंधन;
- खेल संस्थापनाओं के कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन में सहायता;
- खेल स्कूलों, आईएनएसईपी (राष्ट्रीय खेल विशेषज्ञता और कार्यनिष्पादन संस्थान) के फ्रेंच मॉडल के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय खेल संस्थान के सृजन के लिए विभिन्न तरीकों और संभावनाओं का पता लगाने की प्रक्रिया का आदान-प्रदान;
- खेल संरक्षण और प्रायोजन;
- खेल स्पर्धाओं का आयोजन;
- खेल सट्टेबाजी और प्रतियोगिताओं में धोखाधड़ी के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए विशेषज्ञता का आदान-प्रदान;

अनुच्छेद 2. सहयोग के प्रकार

दोनों पक्षों के बीच निम्नानुसार सहयोग कार्यान्वित किया जाएगा :

- सूचना और अनुभवों का आदान-प्रदान,
- प्रकाशनों और अनुसंधान का आदान-प्रदान,
- कार्यशालाओं का आयोजन और प्रशिक्षण शिविरों में भागीदारी,
- सेमिनारों और सम्मेलनों तथा पारस्परिक हित के अन्य सभी पहल कार्यक्रमों का संयुक्त आयोजन,

अनुच्छेद 3. आदान-प्रदान का वित्तपोषण

दोनों पक्षों की निधियों की वार्षिक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समझौते में उल्लिखित आदान-प्रदान निम्नलिखित वित्तीय शर्तों के अनुसार किया जाएगा :

- अंतरराष्ट्रीय परिवहन, आवागमन, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से कार्यशाला, प्रशिक्षण, या स्वागत कक्ष के निकटतम स्थान तक के खर्चों का वहन मेजबान संगठन द्वारा किया जाएगा ।
- ठहरने, आवास, खान-पान, परिवहन के खर्चों का वहन मेजबान संगठन द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 4. आदान-प्रदान का कार्यक्रम

वर्तमान समझौते में उल्लिखित सहयोग अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक के आयोजन और नान-ओलंपिक बैठकों के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान पक्षकारों द्वारा प्रत्येक वर्ष अथवा प्रत्येक दो वर्षों के लिए अनुमोदित कार्यक्रमों के रूप में लागू होगा। यह कार्यक्रम फ्रांस और भारत में एकांतर रूप में होने वाली बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के मूल्यांकन से प्रारंभ होगा।

अनुच्छेद 5. विवाद समाधान

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन से उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को दोनों पक्षों के बीच आपसी परामर्श या वार्ता से शान्तिपूर्वक सुलझा लिया जाएगा।

इस समझौता ज्ञापन की रूपरेखा में निष्पादित तकनीकी सहयोग को जारी रखा जाएगा जबतक कि दोनों पक्षों द्वारा इसे आपसी सहमति से समाप्त न कर दिया जाए।

अनुच्छेद 6. प्रभाव में आना

वर्तमान समझौता ज्ञापन इसके हस्ताक्षर होने की तारीख से दो (2) वर्ष की अवधि के लिए प्रभाव में रहेगा और आपसी सहमति से अगले दो (2) वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत हो जाएगा ।

वर्तमान समझौता ज्ञापन को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, जब संबंधित दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को राजनयिक माध्यम से लिखित घोषणा करके इसे समाप्त करने की अपनी इच्छा अभिव्यक्त करे । यह पर्यावसान इस घोषणा की प्राप्ति के छह (6) महीने बाद प्रभाव में आएगा ।

समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के भीतर कार्यान्वित तकनीकी सहयोग तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से इसे समाप्त करने के लिए सहमत न हों।

अनुच्छेद 7. संशोधन

यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों की पारस्परिक लिखित सहमति से किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

पेरिस में 9 अप्रैल, 2015 को दो मूल प्रतियों में, एक प्रति अंग्रेजी और हिन्दी में तथा एक अन्य प्रति फ्रेंच भाषा में हस्ताक्षरित।

कृते भारत गणराज्य के युवा कार्यक्रम
और खेल मंत्रालय

श्री अरूण कुमार सिंह
फ्रांस में भारत के राजदूत
भारत गणराज्य

कृते फ्रांस गणराज्य के
शहरी संसाधन,
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

श्री थिएरी मोसीमान
खेल निदेशक